

**डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल के पुरुष एवं महिला छात्रावासों हेतु निविदा वर्ष 2024-25 की
निविदा सूचना**

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल के पुरुष एवं महिला छात्रावासों हेतु 'छात्रावास मैस' को संचालित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य के Public Procurement Portal www.uktenders.gov.in में दो निविदा प्रणाली के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :-

क.स.	ई-निविदा विवरण	दिनांक	समय
1-	ई-निविदा प्रपत्र की निविदा वेबसाइट पर उपलब्धता की तिथि	20 सितम्बर 2024	5.30 बजे अपरान्ह
2-	ई-निविदा तकनीकी/वित्तीय बिड अपलोड करने की प्रारम्भिक तिथि	20 सितम्बर 2024	6.00 बजे अपरान्ह
3-	ई-निविदा तकनीकी बिड अपलोड करने की अन्तिम तिथि	09 अक्टूबर 2024	10.30 बजे पूर्वान्ह
4-	ई-निविदा वित्तीय बिड अपलोड करने की अन्तिम तिथि	09 अक्टूबर 2024	10.30 बजे पूर्वान्ह
5-	निविदा की तकनीकी बिड खोले जाने की तिथि	09 अक्टूबर 2024	11.00 बजे पूर्वान्ह
6-	ई-निविदा की वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि	तकनीकी निविदा के पूर्ण होने के उपरान्त	
7-	प्री- बिड मिटिंग की तिथि	27.09.2024	11.00 बजे पूर्वान्ह

उक्त निविदाएँ दिनांक 09 अक्टूबर 2024 को समय 10.30 बजे पूर्वान्ह तक पोर्टल में अपलोड की जा सकती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत निविदादाता द्वारा निविदायें सम्बन्धित पोर्टल में दो भागों में अपलोड की जायेगी। सर्वप्रथम तकनीकी निविदा तत्पश्चात वित्तीय निविदा सम्बन्धित पोर्टल में अपलोड करनी होगी। निविदादाता को तकनीकी एवं वित्तीय दोनों निविदायें दिनांक 09 अक्टूबर 2024 के पूर्वान्ह 10.30 बजे तक उक्त पोर्टल में अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी। वित्तीय निविदा केवल ऑनलाईन माध्यम से उक्त पोर्टल में स्वीकार की जायेगी। निविदा प्रपत्र का शुल्क रु0 1,000=00 (रुपये एक हजार) निर्धारित है, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा। निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पद नाम से बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो नैनीताल स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम से देय हो, के माध्यम से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा या विश्वविद्यालय के कैश काउन्टर में जमा करना होगा। शुल्क जमा करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kunainital.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

निविदा प्रपत्र शुल्क जमा के साक्ष्य के रूप में बैंक ड्राफ्ट या विश्वविद्यालय के कैश काउन्टर की जमा रसीद की प्रति तकनीकी निविदा के साथ पोर्टल में अपलोड करनी होगी तथा मूल

Ar

MD

प्रति तकनीकी निविदा के लिफाफे में निविदा के साथ संलग्न कर कुलसचिव कार्यालय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल में जमा करनी होगी जिन निविदाताओं द्वारा तकनीकी निविदा के साथ शुल्क की मूल प्रति उपलब्ध नहीं करायी जायेगी उनकी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

कार्य का विवरण :- डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल के निम्न पुरुष एवं महिला छात्रावासों में 'छात्रावास मैस' का संचालन किया जाना है :-

क0सं0	छात्रावास का नाम	छात्रावास में निवासरत छात्र-छात्राओं की अनुमानित संख्या	छात्रावास की श्रेणी
1	केनफील्ड छात्रावास (ब्लॉक ए, बी, सी)	180	पुरुष छात्रावास
2	रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास	90	महिला छात्रावास
3	गौरा देवी छात्रावास	80	महिला छात्रावास
4	के0पी0 छात्रावास	75	महिला छात्रावास

तकनीकी निविदा की शर्तें-

तकनीकी निविदा के साथ निम्न विवरणानुसार अभिलेख उक्त पोर्टल में अपलोड करना होगा एवं इन अभिलेखों के साथ ही तकनीकी निविदा का मुहरबन्द लिफाफा दिनांक 09.10.2024 को प्रातः 10.30 बजे तक कार्यालय कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल में जमा करना होगा। डाक से तकनीकी निविदा प्रेषित करने वाले निविदादाता निविदा इस प्रकार प्रेषित करे कि वह दिनांक 09.10.2024 के 10.30 बजे पूर्वान्ह तक कुलसचिव कार्यालय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के कार्यालय में प्राप्त हो जाये। निर्धारित तिथि एवं समय तक ऑफलाईन माध्यम से तकनीकी निविदा इस विश्वविद्यालय में प्राप्त न होने की दशा में उसकी ऑनलाईन तकनीकी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

- 1- तकनीकी निविदा के लिफाफे के बाहर "डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल के छात्रावासों हेतु निविदा" स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये तथा निविदादाता अपना फोन/मोबाईल नम्बर अंकित करें।
- 2- तकनीकी निविदा फार्म वांछित सूचनाओं को भरकर निर्धारित पोर्टल में तकनीकी बिड में अपलोड करना आवश्यक होगा तथा मूल निविदा फार्म तकनीकी लिफाफे में रखकर इस विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
- 3- निविदा प्रपत्र के शुल्क की रसीद (जिस रूप में हो) निर्धारित पोर्टल में तकनीकी बिड में अपलोड करना आवश्यक होगा तथा मूल प्रति तकनीकी लिफाफे में रखकर इस विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
- 4- कार्य की धरोहर की धनराशि रू0 42,240=00 (रूपये बयालीस हजार दो सौ चालीस) निर्धारित है। निविदादाता से निर्धारित धरोहर धनराशि डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, बैंकर्स चैक, बैंक गारन्टी के रूप में स्वीकार की जायेगी, जो वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पदनाम से बन्धक होना चाहिए तथा जो किसी वाणिज्यिक बैंक से निर्गत हो तथा शाखा नैनीताल

Ar

(Signature)

में देय होनी चाहिए। धरोहर जिस रूप में भी हो तकनीकी बिड में उक्त पोर्टल में अपलोड करनी होगी तथा उसकी मूल प्रति तकनीकी लिफाफे में रखकर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

- 5- GST के पंजीकरण संख्या की स्वप्रमाणित प्रति निर्धारित पोर्टल में तकनीकी बिड में अपलोड करनी आवश्यक होगी।
- 6- स्थायी आयकर खाता संख्या (PAN) कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति निर्धारित पोर्टल में तकनीकी बिड में अपलोड करनी आवश्यक होगी।
- 7- निविदादाता को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो निविदा खुलने से 06 माह पूर्व का न हो, की स्वप्रमाणित प्रति निर्धारित पोर्टल में तकनीकी बिड में अपलोड करना आवश्यक होगा।
- 8- निविदादाता का 03 वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) में प्रतिवर्ष न्यूनतम टर्न ओवर रू0 15 लाख होना चाहिए। टर्न ओवर के विवरण की किसी रजिस्टर्ड चाटर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित प्रति की स्वप्रमाणित प्रति निर्धारित पोर्टल में तकनीकी बिड में अपलोड करनी आवश्यक होगी।
- 9- निविदादाता को रू0 25.00 लाख का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण जो निविदा खुलने की तिथि को वैध हो, की प्रति निर्धारित पोर्टल में तकनीकी बिड में अपलोड करनी आवश्यक होगी।
- 10- निविदादाता को Assessment year 2022-23, 2023-24, 2024-25 के आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति निर्धारित पोर्टल में तकनीकी बिड में अपलोड करनी आवश्यक होगी।
- 11- निविदादाता को अपने आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति निर्धारित पोर्टल में तकनीकी बिड में अपलोड करना आवश्यक होगा।
- 12- निविदादाता के पास खाद्य सुरक्षा अधिकारी से निर्गत खाद्य लाईसेन्स होना अनिवार्य है। खाद्य लाईसेन्स की प्रति निर्धारित पोर्टल में तकनीकी बिड में अपलोड करनी आवश्यक है।
- 13- निविदादाता को संलग्नक-1 पर रू0 100=00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र तैयार कर निर्धारित पोर्टल में अपलोड करना होगा।
- 14- निविदादाता के पास राजकीय/स्वायत्त संस्थानों के छात्रावासों के मैस संचालन में वर्ष 2010 के बाद कम से कम किन्हीं 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। निविदादाता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र तकनीकी बिड के साथ निर्धारित पोर्टल में अपलोड करना होगा।
- 15- निविदादाता को निविदा सूचना की स्वहस्ताक्षरित प्रति निर्धारित पोर्टल में तकनीकी बिड में अपलोड करना होगा।

- 16- निविदादाता को तकनीकी निविदा हेतु निर्धारित किये गये समस्त अभिलेख तकनीकी निविदा में उपरोक्तानुसार संलग्न/अपलोड करने होंगे, जिन निविदादाताओं द्वारा तकनीकी निविदा में समस्त अभिलेख संलग्न/अपलोड नहीं किये जायेंगे उनकी तकनीकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

वित्तीय निविदा की शर्तें

- 1- डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल के पुरुष एवं महिला छात्रावासों का न्यूनतम वार्षिक किराया निम्न प्रकार निर्धारित है :-

क्र०सं०	छात्रावास का नाम	निर्धारित न्यूनतम वार्षिक किराया	छात्रावास में निवासरत अनुमानित छात्र/छात्राएँ
1	केनफील्ड छात्रावास (ब्लॉक ए, बी, सी)	रु० 4,95,000=00	180
2	रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास	रु० 3,19,000=00	90
3	गौरा देवी छात्रावास	रु० 3,19,000=00	80
4	के०पी० छात्रावास	रु० 2,75,000=00	75

निविदादाता को उक्त निर्धारित न्यूनतम वार्षिक किराये से अधिक की दर वित्तीय निविदा में देनी है। अधिकतम दरदाता (H-1) के पक्ष में निविदा स्वीकृत की जायेगी।

- 2- प्रत्येक छात्रावास के लिये पृथक-पृथक अधिकतम दरदाता (H-1) की दर स्वीकृत की जायेगी।
- 3- जिन निविदादाताओं की तकनीकी निविदा अर्ह होगी केवल उन्हीं की वित्तीय निविदा द्वितीय चरण में खोली जायेगी।
- 4- वित्तीय निविदा केवल उक्त पोर्टल में ही अपलोड की जायेगी। उक्त पोर्टल के अतिरिक्त अन्य माध्यम से दी गयी दरें स्वीकार नहीं होगी।

निविदा की अन्य शर्तें

- 1- सफल निविदादाता को मैस संचालन के लिये स्वीकृत किराया दो किस्त के आधार पर अग्रिम के रूप में छात्रावास मद में जमा करना अनिवार्य होगा। सफल निविदादाता को स्वीकृत निविदा दर की धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि कार्यादेश निर्गत होने के 03 कार्यदिवस के अन्दर तथा 50 प्रतिशत धनराशि प्रथम किस्त जमा करने के 06 माह की तिथि समाप्त के 03 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।



- 2- सफल निविदादाता को संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि कार्यपूर्ति धनराशि के रूप में जमा करने तथा संविदा मूल्य का 50 प्रतिशत धनराशि प्रथम किस्त के रूप में जमा करने के उपरान्त कार्य का अनुबन्ध करना होगा। कार्यपूर्ति धनराशि डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, बैंकर्स चैक, बैंक गारन्टी के रूप में स्वीकार की जायेगी, जो वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पदनाम से बन्धक होना चाहिए तथा जो किसी वाणिज्यिक बैंक से निर्गत हो तथा शाखा नैनीताल में देय होनी चाहिए।
- 3- कुमाऊँ विश्वविद्यालय के परिसर नैनीताल/भीमताल का कोई भी छात्र, शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी न तो निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकें और न ही संचालन कार्य में भागीदार होंगे।
- 4- किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को किसी भी समय बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 5- अधिकतम दर एक से अधिक फर्मों की प्राप्त होने पर कार्य का आवंटन का निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा लिया जायेगा, जो समस्त निविदादाताओं को मान्य होगा।
- 6- सम्बन्धित कार्य एवं निविदा के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे कुलपति जी के निर्णयार्थ (Arbitration) प्रस्तुत किया जायेगा और उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 7- निविदा के सम्बन्ध में किसी भी विवाद के लिये न्यायिक क्षेत्राधिकार नैनीताल होगा, अन्य किसी भी न्यायालय में विचारार्थ नहीं होगा।
- 8- एक्सपायरी डेट की कोई भी सामग्री उपयोग नहीं होगी एवं फायर सिस्टम लगाये जायेंगे।
- 9- प्रत्येक छात्रावास में एक मैस समिति बनाई जायेगी जिसमें अधीक्षक तथा 05 छात्र-छात्राएँ सम्मिलित होंगे, जिनके बनाये गये छात्रावास नियमों के पालन करने हेतु मैस ठेकेदार बाध्य होगा। यदि छात्रावास में गठित मैस समिति अधीक्षक/अधीक्षिका तथा छात्र/छात्रा द्वारा मैस के ठेकेदार के कार्यों से असन्तुष्ट होने की स्थिति में बिना कारण बताये ठेका अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार परिसर प्रशासन के पास सुरक्षित होगा।
- 10- छात्रावास मैसों में व्यावसायिक गैस का उपयोग किया जायेगा।
- 11- पुरुष एवं महिला छात्रावासों में प्रातः एवं रात्रि हेतु भोजन व्यवस्था का विवरण निम्नवत् निर्धारित होगा-

छात्र छात्रावास में-

दोपहर का भोजन रू0 50.00 प्रति छात्र
रात्रि का भोजन रू0 50.00 प्रति छात्र

छात्रा छात्रावास में-

दोपहर का भोजन रू0 50.00 प्रति छात्रा
रात्रि का भोजन रू0 50.00 प्रति छात्रा

रोटी/पूरी/पराठ, चावल, सलाद	रोटी/पूरी/पराठा, चावल, सलाद
रविवार को स्पेशल (शाकाहारी) रू0 85.00	रविवार को स्पेशल (शाकाहारी) रू0 85.00





मटर पनीर/मसरूम मटर रोटी/पूरी/पराठा, चावल, सलाद एवं स्वीट डिस	मटर पनीर/मसरूम मटर रोटी/पूरी/पराठा, चावल, सलाद एवं स्वीट डिस
रविवार को स्पेशल (मांसाहारी) रू0 85.00	रविवार को स्पेशल (मांसाहारी) रू0 85.00
मटन/चिकन 4 पीस	मटन/चिकन 4 पीस
रोटी/पूरी/पराठा, चावल, सलाद एवं स्वीट डिस	रोटी/पूरी/पराठा, चावल, सलाद एवं स्वीट डिस

नोट: मैस ठेकेदार को व्रत एवं त्यौहार के दिन प्रातः काल दो केले/सेब एवं 250मिली0 दूध तथा रात्रि में आलू, रोटी/पूरी एवं दही उपलब्ध करना होगा। यदि अचानक कोई छात्र/छात्रा बीमार पड़ जाता/जाती है तो ऐसी स्थिति में छात्र/छात्रा को डेली डाईट के स्थान पर दलिया/मूंग की खिचड़ी उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। मैस में बेची जाने वाली वस्तुओं की दरें अधिकतम निम्नवत् होगी:-

सूची (क)

- | | |
|---------|------------------------------|
| 1. चाय | रू0 10.00 प्रति कप 250 एम.एल |
| 2. कॉफी | रू0 15.00 प्रति कप 250 एम.एल |

सूची (ख)

- | | |
|--|-----------------|
| 1. बन (80 ग्राम) | रू0 10.00 प्रति |
| 2. बन-मक्खन | रू0 20.00 प्रति |
| 3. स्लाइस-मक्खन (दो ब्रेड) | रू0 20.00 प्रति |
| 4. अण्डा बॉइल्ड (01) | रू0 10.00 प्रति |
| 5. आमलेट (दो अण्डा) | रू0 20.00 प्रति |
| 6. 5 पूरी, आलू अचार | रू0 25.00 प्रति |
| 7. पैक बिस्कुट, पेट्टीज, शीतल पेय मूल्य पर (कोक, पैप्सी इत्यादि) | |

सूची (ग)

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. समोसा | रू0 10.00 प्रति |
| 2. बन-टिक्की | रू0 20.00 प्रति |
| 3. ब्रैड पकोड़ा | रू0 10.00 प्रति |
| 4. छोले-भटूरे (02) | रू0 25.00 प्रति |
| 5. आलू के पराठा | रू0 15.00 प्रति पराठा |

उपर्युक्त सूची क,ख,ग, में वर्णित खाद्य वस्तुओं के अतिरिक्त यदि मैस ठेकेदार द्वारा कोई अन्य वस्तु मैस में बेचता है तो उसका मूल्य मैस समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा। आवश्यकतानुसार अन्य खाद्य पदार्थों की उपलब्धता हेतु तथा दोनो में परिवर्तन हेतु मैस समिति विचार करेगी। समिति का निर्णय अन्तिम

होगा। निर्धारित दर से अधिक राशि लेने की शिकायत प्राप्त होने पर मैस समिति द्वारा अर्थदण्ड या अनुबन्ध निरस्त की संस्तुति की जायेगी :-

ग्रीष्मकालीन - 01 अप्रैल से 30 सितम्बर

प्रातः 6:00 से सायं 09:30 बजे तक

शीतकालीन- 01 अक्टूबर से 31 मार्च

प्रातः 7:00 से सायं 09:45 बजे तक

- 12- रात्रि 10:30 बजे के बाद मैस ठेकेदार व उसका कोई भी कर्मचारी छात्रावास में निवास नहीं करेगा।
- 13- छात्र/छात्राओं को प्रत्येक माह में अधिकतम 20 डाईट को ऑफ कराने का अधिकार होगा तथा कम से कम 40 डाईट का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा। डाईट में प्रातः नाश्ता शामिल नहीं होगा। विश्वविद्यालय के ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवधि में एवं छात्र व छात्राओं के किसी कारणवश लम्बी अवधि के लिए छात्रावास में अनुपस्थित रहने पर इसे मुक्त रखा जायेगा। किसी भी प्रकार की अतिरिक्त धनराशि छात्र/छात्राओं से प्राप्त नहीं की जायेगी।
- 14- राजकीय अवकाश यथा- दशहरा, दीपावली, होली इत्यादि एवं छात्र/छात्रा के अस्वस्थ होने तथा छात्रावास में न होने पर 40 डाईट का प्रावधान उन छात्र/छात्राओं पर लागू नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में मैस संचालक छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका की अनुमति के उपरान्त अस्वस्थ छात्र/छात्रा हेतु विशेष प्रकार का व्यंजन यथा- जौला, खिचड़ी, दलिया इत्यादि तैयार कर उपलब्ध करायेंगे।
- 15- परिसर की मैस समिति के सदस्यों द्वारा समय-समय पर मैस में बेची जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता की जाँच की जायेगी। गुणवत्ता ठीक न पाये जाने पर ठेकेदार का ठेका किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
- 16- मैस का ठेका लेने वाले ठेकेदार को अपना तथा मैस का कार्य करने के लिए नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी का पूर्ण विवरण आधार कार्ड सहित, ठेकेदार द्वारा प्रमाणित दो पासपोर्ट साईज फोटो एवं पूर्ण विवरण के साथ अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं छात्रावास कार्यालय में निविदा स्वीकृति के 07 दिन के अन्तर्गत उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- 17- मैस के सभी कर्मचारियों के पास कार्य के समय अपने पास अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा जारी परिचय पत्र रखना होगा।
- 18- मैस ठेकेदार को निविदा के अनुरूप मूल्य सूची मैस के बाहर व अन्दर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
- 19- मैस में मदिरापान, धूम्रपान व तम्बाकू सम्बन्धित किसी भी प्रकार की मादक सामग्री अथवा अन्य अवांछित सामग्री का विक्रय व सेवन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। इसके उल्लंघन पर मैस का ठेका निरस्त करने का अधिकार मैस समिति की संस्तुति पर अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डी0एस0बी0



परिसर, नैनीताल को होगा। मादक पदार्थों के सेवन में यदि कोई व्यक्ति संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

- 20- मैस से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं की समस्या के निराकरण का अधिकार छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका को होगा, जिसका पालन करना मैस ठेकेदार को अनिवार्य होगा।
- 21- मैस में पूर्ण अनुशासन बनाये रखने का दायित्व पूर्णरूप से मैस ठेकेदार का होगा। मैस से सम्बन्धित किसी भी समस्या के सम्बन्ध में मैस ठेकेदार स्वयं अपनी समस्या के समाधान हेतु अधीक्षक/अधीक्षिका को अवगत करायेगा। मैस ठेकेदार मैस से सम्बन्धित किसी भी समस्या के समाधान हेतु मैस कर्मचारी/अन्य व्यक्तियों के माध्यम से किसी तरह का दबाव नहीं बनायेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो उक्त ठेकेदार द्वारा नियमों का उल्लंघन माना जायेगा। यदि ऐसा प्रकरण प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित मैस ठेकेदार के विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही कर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
- 22- यदि किसी पूर्व ठेकेदार के पक्ष में पूर्व से किराये की धनराशि बकाया है तो उस स्थिति में उस मैस ठेकेदार की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 23- प्रत्येक कार्य दिवस में सूची "ग" में वर्णित खाद्य पदार्थों में से कोई भी दो सामग्री को मैस के रसोई घर में अनिवार्य रूप से बनाना होगा तथा प्रत्येक कार्य दिवस में दोपहर एवं रात्रि भोजन में विविधता होना अनिवार्य होगा।
- 24- विद्युत का प्रयोग केवल प्रकाश हेतु ही किया जायेगा। मैस में म्यूजिक सिस्टम/डेक/ट्रांजिस्टर/वाद्य यंत्र आदि का प्रयोग निषिद्ध है।
- 25- मैस में विद्युत व्यय का भुगतान सब मीटर के आधार पर विद्युत किराया सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा विभागीय दरों पर किया जायेगा तथा पानी पर व्यय रू0 1,500/- प्रतिमाह एवं सफाई पर व्यय रू0 1,000/- प्रतिमाह मैस ठेकेदार द्वारा छात्रावास मद में जमा किया जायेगा। उक्त से सम्बन्धित धनराशि का लेखा-जोखा छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका द्वारा रखा जायेगा।
- 26- निविदा स्वीकृति होने की दशा में उपरोक्त सभी नियमों के पालन के लिए एवं परिसर प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों को मानने के लिए सम्बन्धित ठेकेदार प्रतिबद्ध होगा। फर्नीचर/विद्युत उपकरणों का रख-रखाव का दायित्व मैस ठेकेदार का होगा। किसी भी प्रकार की क्षति के लिए स्वीकृत निविदा दर के 10 प्रतिशत धनराशि अर्थदण्ड के साथ-साथ क्षति की गयी सामग्री को उपलब्ध कराना होगा।

- 27— मैस एवं उसके आस-पास की सफाई एवं मैस से सम्बन्धित अवशिष्ट पदार्थों का निस्तारण का उत्तरदायित्व मैस ठेकेदार का होगा। मैस भवन (किचन एवं डाईनिंग हॉल) एवं उनमें लगे उपकरणों की सुरक्षा का दायित्व भी मैस ठेकेदार का होगा।
- 28— सफल निविदादाता को परिसर के साथ नियमानुसार रू0 100/- के नॉन-ज्युडिसियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध नोटरी सहित करना होगा। एग्रीमेन्ट करने के उपरान्त ही मैस का कार्य सौपा जायेगा।
- 29— विश्वविद्यालय के कुलपति, निदेशक डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल, अधिष्ठाता छात्र कल्याण बोर्ड तथा कुलसचिव को मैस निरीक्षण तथा भोजन निरीक्षण करने का अधिकार होगा, तथा अनुबन्ध शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर बोर्ड को ठेकेदार के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का पूर्ण अधिकार होगा।
- 30— जो निविदादाता जिस नाम से निविदा प्राप्त करेगा वही व्यक्ति मैस चलाने हेतु उत्तरदायी होगा। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा महिला छात्रावासों में महिला कार्मिकों को ही तैनात किया जायेगा तथा पुरुष कार्मिक तैनात नहीं किये जायेंगे। सफल निविदादाता द्वारा मैस संचालन से पूर्व शपथ पत्र देना होगा कि महिला छात्रावासों में उनके द्वारा महिला कार्मिक तैनात किये जायेंगे तथा उनका नाम सहित विवरण दिया जायेगा। उक्त मैस के संचालन हेतु निविदादाता को अपने कर्मचारियों के छात्रावास में प्रवेश हेतु अधीक्षक/अधीक्षिका द्वारा जारी अनुमति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
- 31— मैस में पूर्णतः हाइजैनिक मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 32— यदि प्रथम निविदादाता द्वारा अपना कार्य सन्तोष जनक नहीं किया जाता है, बीच में छोड़कर चला जाता है या पूर्ण किराये की पूर्ण धनराशि जमा नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में उस फर्म/व्यक्ति को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
- 33— श्रम कानून के प्राविधानों का उलंघन करने पर फर्म/ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 34— छात्रावास मेस हेतु आमंत्रित की जा रही निविदा स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
- 35— सफल निविदादाता को कार्यादेश के अनुसार निर्धारित समय पर कार्य प्रारम्भ करना होगा। यदि उसके द्वारा कार्य करने से इन्कार किया जाता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।


वित्त नियन्त्रक
कुमायू विश्वविद्यालय, नैनीताल।


कुलसचिव,
कुमायू विश्वविद्यालय, नैनीताल

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

संख्या /सामान्य/स्टोर/सा0/पीईआर/731 दिनांक सितम्बर 20/9/2024

प्रतिलिपि :- निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 :- वित्त नियन्त्रक, कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 2 :- निविदा समिति के समस्त सदस्य।
- 3 :- नोडल अधिकारी, ई-निविदा, कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल को इस आशय से कि उक्तानुसार निविदा निर्धारित पोर्टल में अपलोड करने का कष्ट करे।
- 4 :- निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
- 5:- पटल सहायक, कैश काउन्टर।
- 6 :- नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।



कुलसचिव,
कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

शपथ-पत्र

(रु0 100/- नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर होना अनिवार्य है)

मैं.....पुत्र श्री.....

स्थायी पता.....तहसील.....जिला.....

का निवासी हूँ तथा सशपथ निम्न बयान करता हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता उपर्युक्त पते का निवासी है एवं इस आशय का प्रमाण (पैन कार्ड अथवा बोटर आईडी0) प्रस्तुत कर रहा हूँ।
- 2- शपथकर्ता सत्र 2024-25 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय परिसरों सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं नैनीताल जिले की शिक्षण संस्थाओं में संस्थागत छात्र नहीं है।
- 3- मेरे पक्ष में निविदा स्वीकृत होने पर मैं कार्यादेश के अनुसार निर्धारित समय पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। मेरे द्वारा कार्य आरम्भ न करने पर मेरी धरोहर धनराशि जब्त होने पर मैं स्वयं उत्तरदायी हूँगा।
- 4- ठेके की अवधि में वर्णित किराया भुगतान निविदा शर्तों के अनुसार करूंगा तथा परिसर के अधिकारियों द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन करूंगा।

हस्ताक्षर



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल के पुरुष एवं महिला छात्रावासों हेतु निविदा प्रपत्र

- 1- निविदादाता का नाम-
- 2- निविदादाता का पता-
- 3- निविदादाता की फर्म का नाम यदि कोई हो.....
- 4- निविदादाता की फर्म का पता यदि कोई हो.....
- 5- निविदादाता को मोबाइल नं0
- 6- ई मेल आईडी0

निविदादाता

अपना फोटो

चिपकाएँ

निविदादाता के हस्ताक्षर